न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS)

वादपत्र संख्या **43/2017** दायर तारीख 06/10/2017

अनवान

1. कमलेश कुमार पिता भूरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी 14 नाका चूंकी वर्क शॉप के सामने कुन्हाडी कोटा (राज0)
2. कमलेश कुमार पिता जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............वादीगण

बनाम

1. मनोहरलाल पिता रमेशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी सलावटियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री रामफुल धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता वादीगण
2. श्री गिरधारीलाल आचार्य – विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 3/12/2021

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक राजस्व वादपत्र अन्तर्गत **धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बाद नियमित सुनवाई दिनांक 26/11/2020 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि **ग्राम भूति** पटवार हल्का **उमाजी का खेड़ा** तहसील बिजौलिया में **आराजी नं0 514 रकबा 3–09 बीघा भूमि में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सां, वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्से का** जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार **बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर** विभाजन किये जाने के आदेश पारित किया गया। आदेश की पालना में तहसीलदार बिजौलियां ने उनके पत्रांक/राजस्व/2019/1554 दिनांक 08.10.2021 को प्राथमिक डिक्री के प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं। प्राप्त प्रस्ताव पर वकील वादी ने सहमति व्यक्त की हैं।

आज पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में शिविर स्थान उमाजी का खेड़ा में पेश हुई। तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त बटवाड़ा प्रस्ताव एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री** किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (है0)	किस्म	लगान
01	कमलेश कुमार पुत्र जीतमल जाति धाकड़ हिस्सा 1/3 सा. छोटा नयागांव तह. बिजौलियां। कमलेश कुमार पुत्र भूरालाल जाति धाकड़ हिस्सा 2/3 सा. 14 नाका चुंगी वर्क शॉप के सामने कुन्हाडी कोटा जिला कोटा।	नयागांव	514/1	0.2429	माल प्रथम	3.63
	योग		**किता 1**	**0.2429**		**3.63**
02	मनोहरलाल पुत्र रमेशचन्द्र जाति धाकड़ हिस्सा सम्पूर्ण सा. सलावटियां	नयागांव	514	0.2428	माल प्रथम	3.64
	योग		**किता 1**	**0.2428**		**3.64**
03	सामलाती रहेगा।	नयागांव	514/2	0.0728	माल प्रथम	
	योग		**किता 1**	**0.0728**		**3.64**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादीगण निर्धारित नॉन ज्युडिशीयल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि -भीलवाड़ा

निर्णय आज **दिनांक** 3/12/**2021** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि -भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि -भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/7/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान RO सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 31.8.21 को वास्ते PD पालना पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
31/8/21	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। PD पालना हेतु तहसीलदार बिजोलिया को पुनः स्मरण पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते PD पालना दि. 21.9.21 को पेश हो।
21/9/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान RO सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 26.10.21 को वास्ते PD पालना पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
3/12/21	पत्रावली आज बन्द बस्ते से प्रशासन गाँवों के संग अभियान- 2021 में शिविर स्थान उमाजी का खेड़ा में पेश हुई। तहसीलदार बिजोलिया से प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजोलियाँ जि. भीलवाड़ा।